न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान बृजलाल आदि बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 363 / 2025
निर्णय दिनांक 29/9/2025

1. बृजलाल पुत्र चान्दु राम जाति जाट निवारी रैयादुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. धर्माराम पुत्र चान्दु राम जाति जाट निवारी रैयादुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. हेमराज पुत्र चान्दु राम जाति जाट निवारी रैयादुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा रैयादुण्डा पटवार हल्का रैयादुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 585 के खसरा सं. 720 तादादी 1.9979 हैक्ट. एवं खाता संख्या 81 के ख.नं. 2364/444 तादादी 9.0917 हैक्ट व रोही मौजा ढाणी माना के खाता संख्या 321 के ख.नं. 1663/185 तादादी 5.3520 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त खसराजात रोही के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम चन्द्राराम अंकित है जो गलत है जबकि प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि में पिता का नाम चान्दु राम है। राजस्व रिकार्ड में भिन्न नाम होने के कारण प्रार्थीगण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थीगण उक्त खसराजात की जमावंदी में अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम चन्द्राराम के वजाय चान्दु राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीगण के पिता का नाम चन्द्राराम व चान्दु राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थीगण के पिता का नाम चान्दु राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम चन्द्राराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थीगण को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा रैयादुण्डा पटवार हल्का रैयादुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 585 के खसरा सं. 720 तादादी 1.9979 हैक्ट. एवं खाता संख्या 81 के ख.नं. 2364/444 तादादी 9.0917 हैक्ट व रोही मौजा ढाणी माना के खाता संख्या 321 के ख.नं. 1663/185 तादादी 5.3520 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम चन्द्राराम Delete कर इसके स्थान पर चान्दु राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)